74

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 620-दो/2017 - विरूद्ध आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2017 - पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, हनुमना जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 191 अ-74/2015-16

रामममणि पुत्र बद्री विशाल ब्राहमण
ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती निर्मला देवी पत्नि इन्द्रजीत कोल
ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील हनुमना जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री डी0के0पासी)

आ दे श

(आज दिनांक 25-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 191 अ-74/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार हनुमना के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम रघुनाथगढ़ की भूमि सर्वे नंबर 178 रकबा 22.74 एकड़ उसने जर्य रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29-1-1996 से हिस्सा 1/3 क्रय

किया था, रजिस्ट्री के समय उसकी जौजियत निर्मला पति राममणि विक्रय पत्र में लिखाई गई थी। सन् 1998 में उसने राजीखुशी से अपना पुर्नविवाह इन्द्रजीत पुत्र गोल्हई कोल से कर लिया है जिससे उसके 2 पुत्र व 2 पुत्रियां है जिसके कारण उक्त क्रय की गई भूमि के शासकीय अभिलेख में निर्मला पत्नि राममणि ब्राहमण के बजाय सुधार कर निर्मला पत्नि इन्द्रजीत कोल किया जाय। तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण क्रमांक 115 अ 74/15-16 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 20-8-2016 पारित करके निर्णीत किया कि आवेदिका व्दारा पति का नाम एंव जाति परिवर्तन किये जाने की अधिकारिता न्यायालय को न होने से आवेदिका का आवेदन खारिज किया जाता है। अनावेदक ने इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आवेदक ने अपील की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर पक्षकारों को सुनकर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने अंतरिम आदेश दिनांक 20 जनवरी 2017 पारित किया तथा प्रचलनशीलता पर प्रस्तुत आपत्ति अमान्य करते हुये प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3- निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के साथ प्रस्तुत लेखी बहस का भी का अवलोकन किया गया।

4- प्रस्तुत लेखी बहस, उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में दो बिन्दु विचारणीय हैं -

(1) क्या पॅजीकृत विक्रय पत्र अनुसार केताओं का नामान्तरण होने के वाद पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित नामों में सुधार हेतु एंव विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में नामांत्रण उपरांत अंकित हुये नामों/जाति परिवर्तन में सुधार करने के लिये राजस्व न्यायालय सक्षम है ?

(2) क्या अनावेदक व्दारा पति का नाम एंव जाति परिवर्तन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम है ?

4-(1) वाद विचारित भूमि जर्य पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29-1-1996 से राममणि ब्राहमण एंव श्रीमती निर्मला पति राममणि ब्राहमण के नाम क्रय की गई है एंव विक्रय पत्र में अंकित नामों के सॅशोघन पर विचार करने, विक्रय पत्र पर से हुये नामान्तरण के उपरांत अभिलेख प्रविष्टि के नामों/जातियों में सुधार के आदेश पारित करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है।

4-(2)अनावेदक व्दारा पति का नाम परिवर्तन करने एंव जाति परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने एंव निर्णय देने हेतु भी राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है।

5/ तहसीलदार हनुमना व्दारा प्रकरण क्रमांक 115 अ 74/15-16 में पारित आदेश दिनांक 20-8-2016 के अंत में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

" चूँकि आवेदिका का जन्म ब्राहमण जाति के परिवार में हुआ और ब्राहमण परिवार में विवाह भी हुआ वाद में वह अपनी इच्छा से आदिवासी परिवार के साथ रहकर जीवन यापन कर रही है जिससे हिन्दू परम्परा अनुसार जाति और परिवार में भिन्नता है तथा नियमानुसार दोनों की शादी होने का कोई प्रमाण नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदिका व्दारा पति का नाम एंव जाति परिवर्तन किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं होने से आवेदिका का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। "

अनावेदक ने तहसीलदार के समक्ष प्रमाण में आवेदक से हुये विवाह के वाद सक्षम न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री अथवा आदेश आदि भी प्रस्तुत नहीं किया है । उपरोक्त विवेचना उपरांत अनावेदक का आवेदन प्रचलन-योग्य न होने से तहसीलदार व्दारा खारिज करने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय हस्तक्षेप योग्य नहीं है इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण में तहसीलदार के निर्णय दिनांक 20-8-2016 को अंतिम रूप से सुनवाई हेतु लेने में निर्णय लेने की त्रृटि की गई है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, हनुमना जिला रीवा आदेश दिनांक 20-1-17 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, हनुमना जिला रीवा व्दारा प्र0क0 191 अ-74/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2017 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर